राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर, भोपाल (म.प्र.)-४६२०३३
फोन : ०७५५-२६७८८७०
फैक्स : ०७५५-२७४२००६
ईमेल : dsw@rgpv.ac.in
वेबसाईट : www.rgpv.ac.in

RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYAL
(State Technological University of Madhya Prad
Airport Road, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) - 46
Phone : 0755 - 2678
Fax : 0755 - 2742
Email :dsw@rgpv.a
Website : www.rgpv.a

क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./ अधिष्ठाता छात्र कल्याण /2024/398 भोपाल, दिनांक 20/06/2024

आदेश

प्रति,

समस्त प्राचार्य/संचालक
विश्वविद्यालय से संबंद्ध इंजीनियरिंग/फार्मेसी
एम0सी0ए0/आर्किटेक्चर/पत्रोपाधि महाविद्यालय

विषय :– दिनांक 21 जून 2024 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाये जाने के संवंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, का पत्र क्रमांक एफ 5–4/2022/1/4 भोपाल, दिनांक 11/06/2024।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, संदर्भित पत्र में प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 21 जून 2024 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया जाना है। योग दिवस का आयोजन संलग्न संदर्भित पत्र में प्राप्त निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करे। योग दिवस के आयोजन की विडियो सी.डी./फोटोग्राफ के साथ योग दिवस आयोजन के पश्चात प्रतिवेदन तैयार कर तीन कार्य दिवस में अधौहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे।

संलग्न :– संदर्भित पत्र।

(डॉ के.टी.चतुर्वेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2024/399 भोपाल, दिनांक 20/06/2024

प्रतिलिपि :–

01 माननीय कुलपति जी के निज सचिव/ माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
02 कुलसचिव जी के स्टाफ ऑफिसर ओर सूचनार्थ।
03 समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के संचालक/प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ के.टी.चतुर्वेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 5-4/2022/1/1 भोपाल, दिनांक - 11 जून 2024

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   म.प्र. शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त संभागायुक्त,
4. समस्त कलेक्टर्स
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
   मध्यप्रदेश

विषयः- 21 जून 2024, दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन बावत।

विषयांतर्गत दिनांक 21 जून 2024 को दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वृहद पैमाने पर आयोजित कर मनाया जाना है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 के योग दिवस के अवसर पर की जाने वाली सुझावात्मक गतिविधियों की सूची भी प्रेषित की गयी है। (संलग्न)

2. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिनांक 21 जून 2024 को प्रदेश में किए जाने वाले सामूहिक योग कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में निम्नांकित निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-

2.1. संपूर्ण प्रदेश में जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत स्तर पर दिनांक 21 जून 2024 को सामूहिक योग कार्यक्रम का वृहद आयोजन किया जाना है। इन क्रार्यक्रमों में सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों (स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ आयुष/नर्सिंग/पशु चिकित्सा/कृषि शिक्षा) पॉलिटेक्निक, आई. टी. आई. एवं समस्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों के अलावा अन्य समस्त शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। साथ ही योग संस्थानों, एन.सी.सी. एन.एस.एस. पुलिसकर्मियों, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, शासकीय सेवकों, स्वयंसेवी

संगठन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संगठन तथा आम नागरिकों की सामूहिक योग कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

2.2. योग एक शारीरिक एवं आत्मिक क्रिया है, जिसका किसी धर्म अथवा पंथ से कोई संबंध नहीं है। सामूहिक योग प्रदर्शन स्वैच्छिक होगा, किन्तु प्रदेश, की समस्त शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा इसे आवश्यक रूप से आयोजित किया जाये।

2.3. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कॉमन प्रोटोकॉल निर्धारित कर सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान किए जाने वाले योगासनों के बारे में CYP (Common Yog Protocol) अनेक भाषाओं में https://yoga.ayush.gov.in/YAP/CYP/CYP-Home?lang=en. एवं यू–ट्यूब YouTube@MoAyush@MDNIY पर उपलब्ध है। कार्यक्रम में उसी अनुसार योगाभ्यास किया जाना है।

2.4. आयोजन स्थल पर योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए यदि भारत सरकार द्वारा उस दिन दूरदर्शन से फिल्म प्रसारित की जाती है तो आयोजन स्थल पर उस फिल्म को एल.ई.डी. या प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया जाए अन्यथा वेबसाईट https://ayush.gov.in पर उपलब्ध CYP (Common Yog Protocol) को प्रदर्शित किया जाए।

2.5. संपूर्ण प्रदेश में निम्नानुसार पल–प्रतिपल समय–सारणी अनुसार एक ही समय पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेगा :–

1.	सभी सहभागी गण की उपस्थिति	प्रातः 6.00 बजे से पूर्व
2.	अतिथि गण का आगमन	प्रातः 6.00, बजे
3.	अतिथि गण का उद्बोधन	प्रातः 6.02 बजे
4.	मुख्य कार्यक्रम के अतिथियों के उद्बोधन का सीधा प्रसारण	प्रातः 6.10 बजे
5.	सामान्य योग अभ्यास क्रम	प्रातः 7.00 से 7.45 बजे तक
6.	आभार एवं कार्यक्रम समापन	7.50 बजे

2.6. प्रत्येक आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में योग प्रशिक्षक उपलब्ध कराये, जिन्हें देखकर सभी सहभागी योग कर सके।

2.7. आयोजन स्थल पर निर्वाध विद्युत प्रवाह, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाये वर्षा की स्थिति में कार्यक्रम इनडोर किया जा सकता है।

2.8. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वृहत आयोजन किया जाये। सभी नगर निगम, तहसील, विकासखण्ड, नगर पंचायत एवं ग्राम पचायतों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थान पर वृहद आयोजन किये जाये। इन आयोजनों का व्यय ये अपनी स्थानीय निधि से वहन करें। जो छात्र /शासकीय सेवक सामूहिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं, वे उनकी शिक्षण संस्थाओं एवं कार्यालयों में ही योग कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

2.9. सामूहिक योग कार्यक्रम में जिले के माननीय जनप्रतिनिधी यथा मा. प्रभारी मंत्री, अन्य मंत्रीगण, सांसद, महापौर, अध्यक्ष जिला पंचायत, विधायकगण, अध्यक्ष नगर पालिका/नगर पंचायत/जनपद पंचायत तथा जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, पार्षदगण, स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था, गणमान्य नागरिक एवं समाज के हर वर्ग आदि की सहभागिता हेतु अनुरोध किया जाये।

2.10. कार्यक्रम स्थल पर एन.एस.एस., एन.सी.सी. कैडेट्स, विद्यालयीन छात्रों, कॉलेज छात्रों, शासकीय सेवकों, पुलिसकर्मियों, जतप्रतिनिधियों, आम नागरिकों आदि के लिए पृथक–पृथक स्थान चिन्हांकित किए जावे। प्रशिक्षित कैडेट्स का उपयोग कार्यक्रम में योग प्रदर्शन के लिए भी किया जा सकता है। दिव्यांगों के लिए आवश्यक विशेष व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जावे।

2.11. प्रदेश में बड़ी संख्या में महिला स्वसहायता समूह क्रियाशील है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इन समूहों के माध्यम से कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक पहल व. समन्वय किया जाए। इसी प्रकार अन्य विभागों के अंर्तगत कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्वसहायता समूहों की भागीदारी भी कार्यक्रम में सुनिश्चित की जावे।

2.12. आयोजन जून के तृतीय सप्ताह में होने से उस समय मानसून सक्रिय होना संभावित है। ऐसी स्थिति में वर्षा तथा उमस के साथ अत्यधिक गर्मी भी पड़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित, की जावे। बच्चों को सीधे धूप में खड़ा नहीं रखा जावे। उन्हें पानी, बिस्किट आदि अवश्य दें।

2.13. योग कार्यक्रम में भाग लेने के लिये किसी विशिष्ट रंग के परिधान की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभागीगण सुविधा जनक परिधान यथा सफेद टी–शर्ट एवं लोवर या अन्य में योगाभ्यास करने का प्रयास करें। विद्यार्थी शाला गणवेश में भी आ सकते हैं।

2.14. जिला कलेक्टर द्वारा जिले की कार्ययोजना तैयार कर जिले में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम की व्यवस्था के पर्यवेक्षण, निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तथा निर्दिष्ट स्थानों व संस्थाओं में आयोजन नियत समय पर व्यवस्थित रूप से संपन्न होना सुनिश्चित किया जावे।

3. प्रशिक्षण :– सामूहिक योग कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रम एवं प्रोटोकॉल अनुसार एक साथ योगाभ्यास करेंगे। अतः जिला, विकासखण्ड तथा पंचायत आदि स्तर पर उपलब्ध शासकीय एवं ख्याति प्राप्त संस्थानों से योग प्रशिक्षकों का सहयोग प्राप्त कर सभी प्रतिभागीगणों को पूर्व प्रशिक्षण कराया जाये। सभी स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक 20 जून 2024 के पूर्व पूर्ण किया जावे।

4. जागरूकता अभियान :– जनसामान्य में योग के लाभों एवं उपयोगिता के बारे में जागरूकता हेतु योग विशेषज्ञों के सहयोग से कॉमन योग प्रोटोकॉल पर संगोष्ठी, व्याख्यान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि को आयोजन भी किया जाए।

5. काऊंटडाउन का आयोजन– जिला मुख्यालय पर दिनांक 14 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाऊन का एक कार्यक्रम आयोजित करें। इसमें दिनांक 21 जून 2024 के अनुसार ही पल प्रतिपल कार्यक्रम का अनुसरण किया जाए।

6. प्रचार–प्रसारः– जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश मुख्यालय के साथ–साथ पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए तथा डिजीटल फोटोज व व्हिडीयोज ayush.mp.gov.in के IDY के लिंक पर अपलोड करें।

7. समन्वयः– अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में समन्वय हेतु विभाग अपने स्तर से अधीनस्थ मैदानी अमले को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें।

(अनिरुद्ध सुचारी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठ क्रमांक एफ 5-4/2022/1/4 भोपाल, दिनांक – 11 जून 2024

प्रतिलिपि–

1. सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली
2. राज्यपाल के सचिव राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर भोपाल।
7. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
9. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
10. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना / अधीक्षण) मंत्रालय भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन भोपाल।
15. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
16. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर.।
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल।
18. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल।
19. महाधिवक्ता /उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर /खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर।
20. मुख्य सचिव, के उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
21. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
22. सचिव, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग म.प्र. भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ म.प्र.।
25. संबंधित...
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(संलग्नक)

प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY-2024के आयोजन हेतुसुझावात्मक गतिविधियाँ

- प्रशासन यह सुनिश्चित करे किIDY-2024का आयोजन देश के हर शहर और हर गांव तक पहुंचे।
- नियमित योग करने के लाभों के बारे में संदेश जुटाना और फैलाना।
- IDY- की पृष्ठभूमि और अवलोकन के बारे में कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी करना।
- सार्वजनिक महत्त्व के महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करना और वहां योग गतिविधि की योजना बनाना।
- IDY - क्रिएटिव/नवीनतम अपडेट पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करना। अपडेट के लिएMoAyushसोशल मीडिया प्रोफाइल को फालो करें और उन्हें सरकारी निकायों के परिपत्रों/सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा करें।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार की प्रत्येक वेबसाइट परIDY -लोगो प्रदर्शित करें। और अधीनस्थ संगठन, संबंधित सामग्री को सभी कर्मचारियों/आम जनता तक प्रसारित करें।
- योग संबंधी गतिविधियों का आयोजन, आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग/प्रसार।
- कर्मचारियों कोMyGovप्लेटफार्म पर पहले से ही होस्ट की गई गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सभी सार्वजनिक संस्थानों जैसे अस्पतालों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, पुलिस स्टेशनों, बस स्टेशनों, पंचायत–नगर पालिका निगम–तालुका–ग्राम कार्यालयों आदि पर योग परIDY-बैनर/प्रधानमंत्री के उद्धरण की मेजबानी करना।
- प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को जिला मुख्यालय पर एक सामूहिकIDY - प्रदर्शन (सीवाईपी के बाद) आयोजित करके Countdown कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया जा सकता है। CYPकई भाषाओं मेंYouTube@MoAyush@MDNIYकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- वाई–ब्रेक प्रोटोकल/ऐप को सभी सरकारी कार्यालयों में पेश किया जा सकता है। मंत्रालय के डिजिटल संसाधनों जैसे नमस्ते योग ऐप, वाई–ब्रेक ऐप, योग कैलेंडर, योग शब्दकोश आदि को बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा सकता है।
- योग विशेषज्ञों को शामिल करने वाले गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सीवाईपी कार्यशालाएं/ऑलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की भागीदारी सुनिश्चित करना। आधिकारिक ई–न्यूज़लेटर, बुलेटिन, पत्रिकाओं में योग और IDY-विशिष्ट लेख प्रकाशित करना आदि।

- योग वेबिनार/सेमिनार का आयोजन। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटक आदि के माध्यम सेIDY-गतिविधियों को बढ़ावा देना। योग को एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में बढ़ावा देना।
- गांवों में अमृत सरोवरों के पासIDY- का आयोजन करें।
- प्रमुख हस्तियों/खेलों द्वाराIDY-प्रचार वीडियो बनाना और प्रसारित करना।
- पर्यावरण–अनुकूल योग उत्पादों और सहायक उपकरणों का उपयोग।
- योग का संदेश फैलाने के लिए आशा/एएनएम कार्यकर्ताओं और प्रमुख खेल निकायों, क्लबों और संघों का उपयोग करना। सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योगाभ्यास, (MoH-FW)और NAM (शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं, आदि) द्वारा समर्थित सभी सुविधाएं और इसकी ब्रांडिंग।IDY-अवलोकनों के वीडियो/फोटो को नियंत्रण कक्ष के साथ साझा किया जाएगा।
- IDY अभियान गतिविधियों में आम लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- IDY-गतिविधियों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में किया जा सकता है। इसमें ग्राम प्रधानों, वार्ड पार्षदों और अन्य स्थानीय समुदाय के नेताओं को शामिल करना।
- योग का संदेश फैलाना औरIDYमुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करना। 21 जून कोIDY-2024में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की गतिविधियों और संख्या का डेटाबेस वीडियो/फोटो के साथ रखा जा सकता है।